

राजस्थान सरकार
समाज कल्याण विभाग

क्रमांक : एफ.11(125)(2)आर एण्ड पी/सकवि/2001/ ५१७९८

जयपुर, दिनांक : ५-१०-०२

परिपत्र

भारत सरकार द्वारा जारी नोटिफिकेशन संख्या 12011/68/98- बीसीसी दिनांक 27 अक्टूबर, 1999 में राजस्थान राज्य के पिछड़े वर्गों की सूची में क्रम संख्या 58 पर जाट (धौलपुर और भरतपुर के अतिरिक्त) जाति को अन्य पिछड़ा वर्ग की केन्द्रीय सूची में सम्मिलित किया गया है। भारत सरकार द्वारा जारी स्पष्टीकरण दिनांक 6 नवम्बर, 2001 द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि सिख धर्म के जाट जाति के व्यक्तियों को (धौलपुर और भरतपुर जिले के अतिरिक्त) भी अन्य पिछड़ा जाति का प्रमाण पत्र केन्द्रीय सेवाओं हेतु जारी किया जा सकता है। अतः इस परिप्रेक्ष्य में “जट सिख” जाति के लोगों को (धौलपुर और भरतपुर जिले के अतिरिक्त) केन्द्रीय सेवाओं हेतु अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र जारी किये जाने हेतु राज्य के सक्षम अधिकारियों को प्राधिकृत किया जाता है।

३
४/०
(अशोक जैन)
शासन सचिव

क्रमांक : एफ.11(125)(2)आर एण्ड पी/सकवि/2001/ ५१७९८ - ९५८

जयपुर, दिनांक : ५-१०-०२

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव, राजस्थान सरकार।
5. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
6. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
7. संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. समस्त सम्भागीय आयुक्त।
9. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
10. राजस्ट्रार, राजस्थान हाई कोर्ट, जोधपुर/जयपुर।
11. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
12. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, जयपुर।
13. निजी सचिव, समस्त मंत्री/राज्य मंत्री, राजस्थान।
14. समस्त विभागाध्यक्ष।
15. समस्त जिला कलेक्टर।
16. जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर के पत्रांक एफ 29 (1)(2)विकास/99/2206 दिनांक 21.9.02 के संदर्भ में।
17. समस्त पुलिस अधीक्षक।
18. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, जयपुर।
19. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, समाज कल्याण विभाग।
20. गार्ड फाईल।

५
विशिष्ठ शासन सचिव


राजस्थान सरकार
समाज कल्याण विभाग

क्रमांक : एफ.11(125)आरएण्डपी/सकवि/2001/ ६४७१५

जयपुर, दिनांक : १९-१२-२००१

अधिसूचना

इस विभाग की अधिसूचना संख्या एफ.11(125)आरएण्डपी/सकवि/99/74085 दिनांक 3.11.99 एवं ब्रह्मांक एफ.11(125)(7)आरएण्डपी/सकवि/459 दिनांक 10.1.2000 के द्वारा राजस्थान के पिछड़े वर्गों की सूची में क्रम संख्या "54" पर जाट जाति का नाम समस्त राज्य के लिए जोड़ा गया था, के अनुक्रम में दिनांक 5 दिसम्बर, 2001 को हुई मंत्रीमण्डल की बैठक में विचार-विमर्श कर निर्णय लिया गया कि भारत सरकार व राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की राय को ध्यान में रखते हुए राज्य में "जट सिख" जाति के सदस्यों को अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल कर जाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु मंत्रीमण्डल की आज्ञा 113/2001 द्वारा स्पष्टीकरण जारी करने का अनुमोदन किया गया। अतः राज्य में "जट सिख" जाति के सदस्यों को भी अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र जारी किया जावे।


 (ओ.पी. मीणा)
 शासन सचिव

क्रमांक : एफ.11(125)आरएण्डपी/सकवि/2001/ ६४७१५-८६५
 प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

जयपुर, दिनांक : १९-१२-२००१

1. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. समस्ता प्रमुख शासन सचिव/ शासन सचिव, राजस्थान सरकार।
3. प्रमुख सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
4. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान।
5. संयुक्त सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. समस्ता सम्भागीय आयुक्त।
7. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
8. रजिस्ट्रार, राजस्थान हाई कोर्ट, जोधपुर।
9. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
10. अध्यक्ष, राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, जयपुर।
11. सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, जयपुर।
12. निजी सचिव, समस्त मंत्री/राज्य मंत्री, राजस्थान।
13. अतिरिक्त रजिस्ट्रार, राजस्थान हाई कोर्ट, जयपुर बैच्च।
14. समस्त विभागाध्यक्ष।
15. समस्त जिला कलेक्टर।
16. समस्त पुलिस अधीक्षक।
17. निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क दिभाग, जयपुर।
18. समस्त उप निदेशक/सहायक निदेशक/जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी, समाज कल्याण विभाग।
19. अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र (विशेषांक) में प्रकाशन हेतु।
20. गार्ड फाईल।


 शासन उप सचिव,
 समाज कल्याण विभाग।